दूरभाषः– 286709
286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांकः– 812 /HFA/डि0–कम्प्लॉएन्श/ 2017–18 दिनांकः–07 जून, 2017

प्रेषक

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी–अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
जिला–अम्बेडकर नगर।

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत नामित कन्सलटेन्ट स्टेरिलट द्वारा शिविर लगाकर शत–प्रतिशत प्रमाणीकरण का कार्य न कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–97/डूडा/प्रधान–मंत्रीआवास/2017 दि–01.06.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आप द्वारा अवगत कराया गया है कि नामित कन्सलटेन्ट स्टेरिलट सिस्टम लि0, द्वारा जनपद की निकायों में शिविर लगाकर शत–प्रतिशत प्रमाणीकरण का कार्य नही कराया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों द्वारा कार्यालय एवं तहसील दिवस के माध्यम से बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही है। संबंधित कन्सलटेन्ट को इस संबंध में कई बार निर्देशित भी किया जा चुका है परन्तु कन्सलटेन्ट द्वारा नियमानुसार शिविर लगाया जाना सुनिश्चित नही किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में, आपसे प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित कन्सलटेन्ट को सूडा स्तर से पुनः सचेत करते हुए, निर्देशित किया जा चुका है कि अम्बेडकर नगर जनपद की समस्त स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारी, डूडा से सम्पर्क कर, शीघ्रता शीघ्र शत–प्रतिशत प्रमाणीकरण का कार्य, शिविर के माध्यम से, पूर्ण कराया जाना तथा शासनादेशानुसार आपकी अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति की बैठक से उक्त प्रमाणीकरण का अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात नामित कन्सलटेन्ट द्वारा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कराते हुए, 30 जून 2017 से पूर्व नियमानुसार सूडा मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय

(शैलैन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि–

1. स्टेरिलट सिस्टम लि0, स्टेरिलट टावर प्रथम तल,2/3 ब्लाक ई0पी0 एण्ड जी0पी0 साल्टलेक–5, कोलकाता को उपरोक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री योगेश आदित्य, सहायक परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, लखनऊ।

(शैलैन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक